संख्या- 173 / 2023 /919 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2023

विषय:- भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के लिये जलकर/ भवनकर हेतु रू0 204.09 लाख की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक संस्कृति निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या-4654/सं0नि0-20 (बी0एन0ए0) /2020-21, दिनांक 23 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के लिये जलकर/ भवनकर हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 204.09 लाख (रू0 दो करोड़ चार लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बचत की धनराशि निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(6) निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति -001-निदेशन तथा प्रशासन -03 -संस्कृति निदेशालय- 01- वेतन मद, 03- महंगाई भत्ता मद, 09- विद्युत देय मद, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद, 55-मकान किराया भत्ता मद एवं 101-ललित कला शिक्षा -07- उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी -31- सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) मद, -09-कथक केन्द्र, लखनऊ अनुदान -31- सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) मद, -06- ललित कला अकादमी -31- सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) मद, -23- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान -31- सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) मद, 102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन- 06- बेगम अख्तर पुरस्कार -20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) मद, 09- वृद्ध कलाकारों/ लेखकों को मासिक पेंशन -20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) मद, 103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय -03- महंगाई भत्ता मद तथा 107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-58 आउटसोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान मद में हो रही बचतों में से रू0 204.09 लाख संक्रमित करते हुए लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति -101- ललित कला शिक्षा -08- भारतेन्दु नाट्य अकादमी- 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 173 /2023 / 919 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20222023-919-Char-2023 BNA

विषय:- भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के लिये जलकर/ भवनकर हेतु रू0 204.09 लाख की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण ,,,,,,,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,01,08,000 रुपये एक करोड़ एक लाख आठ हजार मात्र	13,09,000 रुपये तेरह लाख नौ हजार मात्र	13,09,000 रुपये तेरह लाख नौ हजार मात्र	13,09,000 रुपये तेरह लाख नौ हजार मात्र	87,99,000 रुपये सतासी लाख निन्यानवे हजार मात्र	2022-2023
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	01 (वेतन)	3,46,25,000 रुपये तीन करोड़ छियालीस लाख पच्चीस हजार मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	3,24,25,000 रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख पच्चीस हजार मात्र	2022-2023
092	2205001020900 (वृद्ध कलाकारों लेखकों को मासिक पेंशन-)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	44,00,000 रुपये चवालीस लाख मात्र	44,00,000 रुपये चवालीस लाख मात्र	44,00,000 रुपये चवालीस लाख मात्र	1,06,00,000 रुपये एक करोड़ छह लाख मात्र	2022-2023
092	2205001020600 (बेगम अख्तर पुरस्कार)	42 (अन्य व्यय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	0	2022-2023
092	2205001012300 (अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान , उत्तर प्रदेश)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	87,20,000 रुपये सतासी लाख बीस हजार मात्र	14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र	14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र	14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र	73,20,000 रुपये तिहत्तर लाख बीस हजार मात्र	2022-2023
092	2205001010900 (कत्थक केन्द्र, लखनऊ के विकास के लिये अनुदान-)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	63,55,000 रुपये त्रेसठ लाख पचपन हजार मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	46,55,000 रुपये छियालीस लाख पचपन हजार मात्र	2022-2023
092	2205001010700 (उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	1,77,93,000 रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख तिरानवे हजार	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	1,55,93,000 रुपये एक करोड़ पचपन लाख तिरानवे हजार मात्र	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
			मात्र					
092	2205001010600 (उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	1,08,03,000 रुपये एक करोड़ आठ लाख तीन हजार मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	1,03,03,000 रुपये एक करोड़ तीन लाख तीन हजार मात्र	2022-2023
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	55 (मकान किराया भत्ता)	19,94,000 रुपये उन्नीस लाख चौरानवे हजार मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	17,94,000 रुपये सत्रह लाख चौरानवे हजार मात्र	2022-2023
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	0	2022-2023
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	09 (विद्युत देय)	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	2022-2023
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	82,51,000 रुपये बयासी लाख इक्यावन हजार मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	71,51,000 रुपये इकहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र	2022-2023
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	01 (वेतन)	2,20,00,000 रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	27,00,000 रुपये सत्ताईस लाख मात्र	1,93,00,000 रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख मात्र	2022-2023
कुल					₹ 2,04,09,000	₹ 2,04,09,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001010800 (भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ को अनुदान)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य	2,06,00,000 रुपये दो करोड़ छह लाख मात्र	2,04,09,000 रुपये दो करोड़ चार लाख नौ हजार मात्र	2,04,09,000 रुपये दो करोड़ चार लाख नौ हजार मात्र	4,10,09,000 रुपये चार करोड़ दस लाख नौ हजार मात्र	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		(गैर वेतन))					
कुल				₹ 2,04,09,000	₹ 2,04,09,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बचत की धनराशि निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(6) निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

संख्या:RE-budget-1-707-E-7-569-X-2022-23-दिनांक:30-03-2023

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संजय शुक्ला
उप सचिव

संख्या- 173 /2023 / 919 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in